

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह-11,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ

दिनांक

15 मार्च, 2019

विषय- जनपद न्यायालय बागपत में न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्माणाधीन श्रेणी-5 के 14 नग आवासों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश स0-114/2018/1069/सात-न्याय-9(बजट)-2018-800(21)/2014, दिनांक 03-10-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद न्यायालय बागपत में न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्माणाधीन श्रेणी-5 के 14 नग आवासों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन ₹02060.04 लाख (जीएसटी नियमानुसार देय) पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय बागपत में न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्माणाधीन श्रेणी-5 के 14 नग आवासों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन ₹02060.04 लाख के सापेक्ष ₹0255.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम कार्यदायी संस्था नामित है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम यूनिट - 28 गाजियाबाद को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2019 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

4-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। शासनादेश स0-114/2018/1069/सात-न्याय-9(बजट)-2018-800(21)/2014, दिनांक 03-10-2018 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

5 - प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय - 01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें - 01-जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह॥)

प्रमुख सचिव

संख्या-47/2019/01(1)/ सात-न्याय -9(बजट)-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
- 5- जनपद न्यायाधीश बागपत ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
- 8- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 30प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
- 9- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 30प्र0 जल निगम, यूनिट-28, गाजियाबाद ।
- 10- वित्त ई- 12।
- 11- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।